भारत पर्यटन विकास निगम में आरक्षित कोटे के प्रत्याशियों की नियुक्ति

329. **श्री अजीत जोगी:**
श्री एस० एस० सुरजेवाला:

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम कार्यकारी स्तर के पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों की नियुक्ति में आरक्षण-संबंधी विशिष्ट दिशानिर्देशों का पूर्णतः अनुपालन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों की संख्या का ब्यौरा क्या है, और 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार मुख्यालय में वस्तुतः भरे गये कार्यकारी पदों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में संसद सदस्यों, यूनियनों और अधिकारियों से परिवाद किन-किन तारीखों को प्राप्त हुए और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जैना): (क) और (ख) जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम के भर्ती, पदोन्नति एवं वरिष्ठता नियमों के अनुसार मुख्यालय स्तर पर/कार्यकारी पद निम्न प्रकार से भरे जाते हैं:—

(i) 40% सीधी भर्ती के माध्यम से जहां सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण लागू है।

(ii) 60% पद विभागीय पदोन्नति समिति (डी पी सी) के माध्यम से चयन करके भरे जाते हैं।

31.3.96 को 628 स्वीकृत पदों के विरुद्ध भारत पर्यटन विकास निगम मुख्यालय में 362 कार्यकारी कार्य कर रहे हैं। इनमें से 45 अनुसूचित जाति, 8 अनुसूचित जनजाति और 7 पिछड़ी श्रेणियों के हैं।

(ग) 31 मई, 1995 को एक संसद सदस्य से पदोन्नति के मामले में आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों के साथ भेदभाव करने के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। 26 अक्तूबर, 1996 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग से एक वैयक्तिक सहायक की पदोन्नति न करने के संबंध में एक और शिकायत प्राप्त हुई थी और 9 अप्रैल, 1996 को एक तीसरी शिकायत एक कर्मचारी से पदोन्नति में उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त हुई थी। इन सभी शिकायतों की जांच की गई और इन्हें ठीक नहीं पाया गया और तद्नुसार शिकायत कर्ताओं को अवगत करा दिया गया था।

आयकर और सीमा शुल्क संबंधी नियमों को सरल बनाया जाना

330. **श्री इकबाल सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयकर एवं सीमा शुल्क नियमों को सरल बनाया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा की जा रही आवश्यक कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) से (घ) कर कानूनों का सरलीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। गत पांच वर्षों के दौरान इस सबंध में बड़ी संख्या में विधायी उपाय किए गए हैं। इनमें, सीमा शुल्क के संबंध में सीमा शुल्क की शीर्ष दर में छूट, बड़ी संख्या में अंतिम उपयोग पर आधारित छूट की समाप्ति और अनेक शुल्क दरों में छूट, और आयकर के संबंध में प्रत्यक्ष कर कानूनों के अंतर्गत कटौतियों का सरलीकरण, 1,20,000/-रु० तक की आय वाले व्यापार से इतर करदाताओं के लिए एक सरलीकृत पत्र की विवरणी की शुरूआत और स्त्रोत पर काटे जाने वाले कर के संबंध में नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण, शामिल है।

वायुदूत के कर्मचारियों को सौंपे गये कार्य

331. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय वायुदूत के कर्मचारियों को देश के विभिन्न स्थानों पर किस प्रकार के कार्य सौंपे जा रहे हैं, विभिन्न स्थानों पर अभी भी कार्यरत वायुदूत के कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा उन स्थानों के नाम क्या-क्या हैं?

नागर विमानन मत्री (श्री सी एम इब्राहिम): वायुदूत के 1334 कर्मचारियो मे से 310 को एयर इडिया और 1016 को इडियन एयर लाइन्स मे खपा लिया गया है शेष 8 कर्मचारियो को भी इडियन एयरलान्स मे खपाये जाने की पेशकश भेजी गयी है परन्तु उन्होने अभी तक कार्य भार नही सभाला। इस प्रकार खपाया गया वायुदुत का स्टाफ एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के विभिन्न स्टेशनो पर कार्य कर रहा है।

Cases pending in High Courts

332. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of cases pending in High Courts in the country as on 30th June, 1996;

(b) the number of cases pending in Karnataka High Court as on 30th June, 1996; and

(c) the steps Government propose to take to have the cases cleared?

THE MINISTER OF STATE OF THE DEPTT. OF LEGAL AFFAIRS, LEGISLATIVE DEPTT. AND DEPTT. OF JUSTICE. (SHRI RAMAKANT D. KHALAP): (a) and (b) The information available is given in the attached Statement. *(See* below).

(c) In order to consider the problem of arrears of cases in Courts and to find out ways and means so as to deal with it as expeditiously as possible, a meeting of the Chief Ministers and Chief Justices was held on 4th December, 1993 under the Chairmanship of the Prime Minister. The Conference recommended several steps in a resolution it adopted for the speedy disposal of cases in the Courts/ Tribunals. This resolution has been commended to all the State Governments/ UT Administrations and High Courts/ Tribunals for necessary action. Three Working Groups of Law Ministers, thereafter, met to consider the recommendations contained in the above resolution with regard to rural litigation, arrears of cases in administrative tribunals and alternative dispute resolution. The implementation of December, 1993 resolution and the recommendations made by the Working Groups were reviewed by the Law Ministers at their plenary meetings held in Calcutta in November, 1994 and in Hyderabad, in November, 1995. The resolutions adopted in these meetings have been commended to all the concerned authorities for necessary follow-up action. The Administration of Justice has been made a Plan item as a Centrally Sponsored Scheme to remove the infrastructural bottlenecks coming in the way of expeditious disposal of cases in Courts.

Statement

Cases Pending in the High Courts in India

SI. No.	Name of the High Court	No. of cases pending as on	Pen- dency
1.	Allahabad	788448	30.6.95
2.	Andhra Pradesh	148648	31.12.95
3.	Bombay	217111	31.12.95
4.	Calcutta	254369	31.12.95
5.	Delhi	148878	30.6.95
6.	Gauhati	30667	30.9.95
.7.	Gujarat	91953	31.3.95
8.	Himachal Pradesh	20436	31.12.95
9.	Jammu & Kashmir	93700	31.12.95
10.	Karnataka	160221	31.3.96
11.	Kerala	201551	31.3.96
12.	Madhya Pradesh	84560	31.12.94
13.	Madras	302361	31.12.94
14.	Orissa	51942	31.12.95
15.	Patna	95445	31.12.95 ,
16.	Punjab & Haryana	145792	30.9.95
17.	Rajasthan	95368	31.12.95
18.	Sikkim	67	31.3.96

Promotion of Tourism in Punjab

333. SHRI MOHINDAR SINGH KALYAN: SHRI IQBAL SINGH:

Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state: